अध्याय 11

अपराध के मामले और पुलिस की तैनाती

अध्याय 11
अपराध के मामले और पुलिस की तैनाती

11.1 प्रस्तावना

पुलिस के मुख्य कार्यों में अपराध को रोकना, जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति, मानवाधिकारों की सुरक्षा और नागरिकों की गरिमा सम्मिलित है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एन.सी.आर.बी.) द्वारा किये गये वर्गीकरण के अनुसार राज्य पुलिस द्वारा दो वर्गों अर्थात भारतीय दण्ड संहिता (आई.पी.सी.) एवं विशेष व स्थानीय कानून (एस.एल.एल.) में अपराध दर्ज किये जाते हैं। आई.पी.सी. श्रेणी में हत्या, हत्या का प्रयास, बलात्कार, दंगा, अपहरण, आगजनी, डकैती, लूटपाट आदि आता है जबकि एस.एल.एल. श्रेणी में आर्म्स ऐक्ट, एन.डी.पी.एस. ऐक्ट, गैम्बलिंग ऐक्ट, आबकारी अधिनियम, निषेध अधिनियम, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, अनैतिक देह व्यापार (रोक) अधिनियम, भारतीय रेलवे अधिनियम, विदेशी व्यक्तियों का पंजीकरण अधिनियम, नागरिक अधिकारों का सुरक्षा अधिनियम, भारतीय पासपोर्ट अधिनियम, आवश्यक वस्तु अधिनियम, आतंकवादी व विघटनकारी गतिविधि अधिनियम, पुरातत्व व कला संग्रह अधिनियम, दहेज निषेध अधिनियम, बाल विवाह निषेध अधिनियम, महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व (रोक) अधिनियम आदि सम्मिलित हैं।

वर्ष 2011 की तुलना में वर्ष 2015 में आई.पी.सी. श्रेणी में दर्ज अपराधों में 24 प्रतिशत तथा एस.एल.एल. श्रेणी में दर्ज अपराधों में 2011–15 अवधि में 35 प्रतिशत की वृद्धि हुई जैसा कि नीचे दिये गये चार्ट से स्पष्ट है।

चार्ट 11.1: वर्ष 2011–15 की अवधि में
आई.पी.सी. श्रेणी में दर्ज अपराध

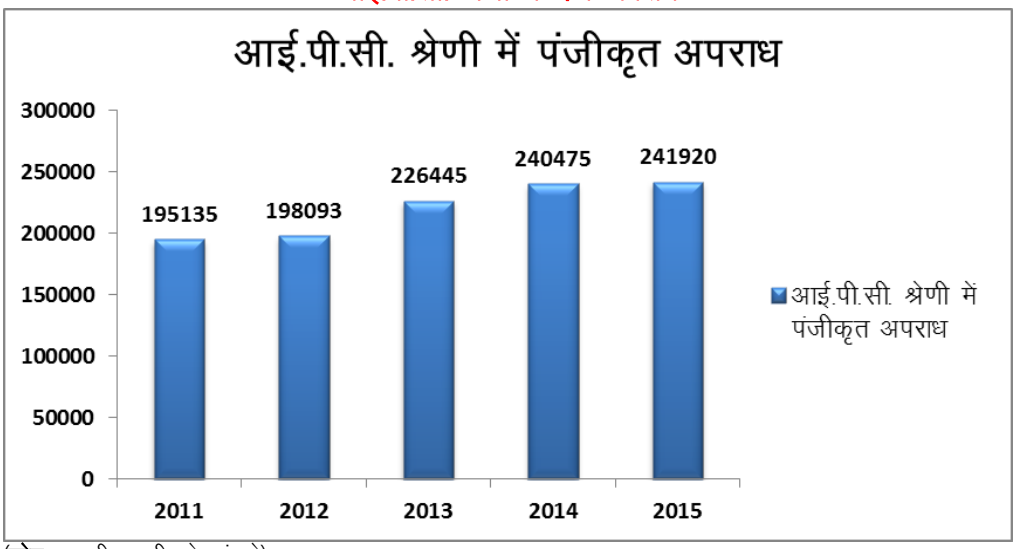

(**स्रोतः** एन.सी.आर.बी. के आंकड़े)

लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि आई.पी.सी. के विभिन्न श्रेणियों में दर्ज अपराधों के प्रतिशत में वर्ष 2011 की तुलना में 2015 में भारी वृद्धि हुई जैसे कि डकैती की तैयारी और गिरोह में 44 प्रतिशत, अपहरण व अगवा करने में 41 प्रतिशत, बलात्कार में 48 प्रतिशत एवं दंगा में 36 प्रतिशत जैसा कि नीचे दिये गये चार्ट में दर्शाया गया है:

चार्ट 11.2: आई.पी.सी. के विभिन्न श्रेणियों में दर्ज अपराध

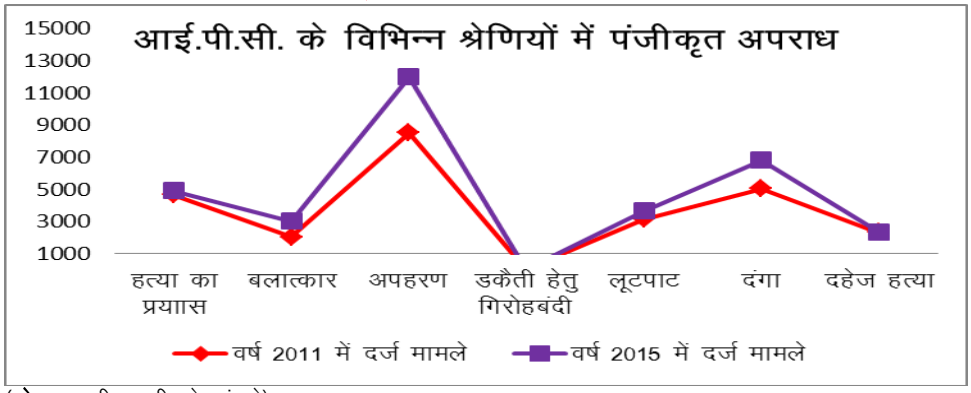

(**स्रोतः** एन.सी.आर.बी. के आंकड़े)

चार्ट 11.3: वर्ष 2011–15 के दौरान एस.एल.एल. श्रेणी में दर्ज अपराध

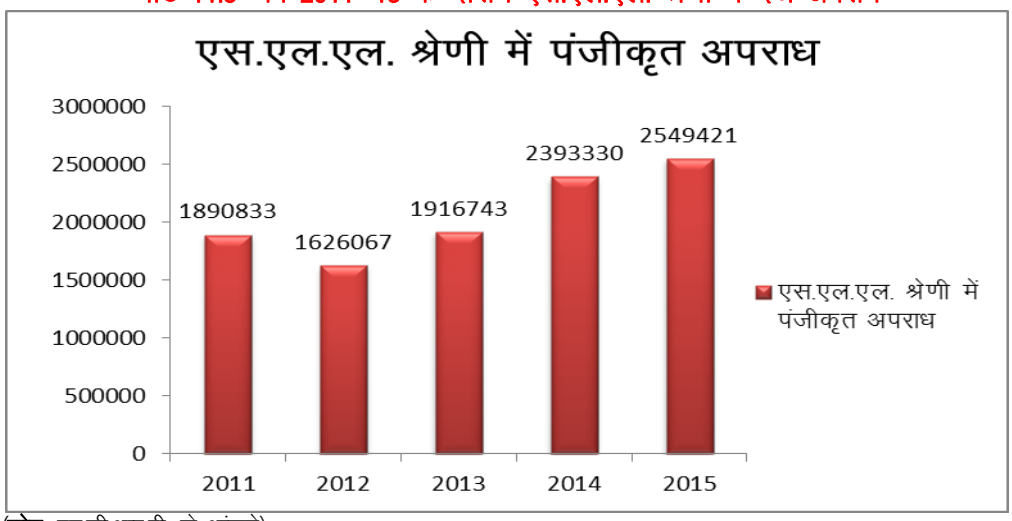

(**स्रोतः** एन.सी.आर.बी. के आंकड़े)

इसी प्रकार, एस.एल.एल. के विभिन्न श्रेणियों में दर्ज अपराधों के प्रतिशत में वर्ष 2011 की तुलना में 2015 में भारी वृद्धि हुई जैसे कि दहेज निषेध अधिनियम में 95 प्रतिशत, भारतीय रेलवे अधिनियम में 90 प्रतिशत, आबकारी अधिनियम में 18 प्रतिशत इत्यादि की वृद्धि हुई जैसा कि नीचे दिये गये चार्ट में दर्शाया गया है:

चार्ट 11.4: एस.एल.एल. के विभिन्न श्रेणियों में पंजीकृत अपराध

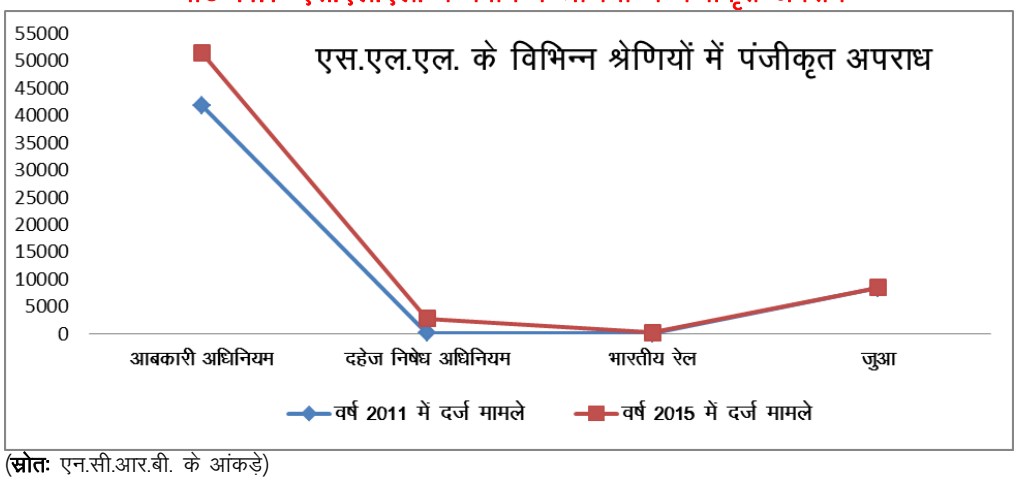

(**स्रोतः** एन.सी.आर.बी. के आंकड़े)

उत्तर में शासन द्वारा बताया गया (फरवरी 2017) कि जनसंख्या के आधार पर राज्य भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है अतः यह संभावित है कि एस.एल.एल. कानूनों का उल्लंघन अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक होगा इसलिये इन श्रेणियों में वृद्धि हो सकती है। इसके अतिरिक्त, इन श्रेणियों के अपराधों में वृद्धि राज्य पुलिस की तत्परता को भी दर्शाती है जो कि एक सकारात्मक संकेत है।

शासन का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि पुलिस बल के आधुनिकीकरण का एक उद्देश्य अपराधों की संख्या में कमी लाना भी था जबकि आई.पी.सी. व एस.एल.एल. की विभिन्न श्रेणियों में इसकी वृद्धि हुई।

वर्ष 2010–15 की अवधि में समाज के विभिन्न वर्गों के विरुद्ध दर्ज कुल अपराधों में भी अच्छी–खासी वृद्धि हुई जैसा कि निम्न सारणी में दिया गया है।

सारणी 11.1: श्रेणी–वार अपराधों का विवरण

क्र0 सं0	विवरण	वर्ष 2011	वर्ष 2015	प्रतिशत वृद्धि
1.	अपराध घटनाओं की कुल संख्या	20,85,968	27,91,341	34
2.	आई.पी.सी. में पंजीकृत केस	1,95,135	2,41,920	24
3.	एस.एल.एल श्रेणी में पंजीकृत केस	18,90,833	25,49,421	35
4.	महिलाओं के विरुद्ध पंजीकृत अपराध	22,639	35,527	57
5.	बच्चों के विरुद्ध पंजीकृत अपराध	5,500	11,420	108
6.	अनु.जाति/जनजाति के विरुद्ध पंजीकृत अपराध	7,702	8,358	9

(**स्रोतः** एन.सी.आर.बी. के आंकड़े)

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि सभी श्रेणियों में अपराध में अच्छी–खासी वृद्धि हुई है जो कि 9 से 108 प्रतिशत के मध्य थी। वर्ष 2011–15 की अवधि में बच्चों के विरुद्ध अपराध की संख्या में 108 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि:

- आई.पी.सी. एवं एस.एल.एल. श्रेणियों में पंजीकृत अपराधों की कुल संख्या की तुलना यदि सर्वाधिक जनसंख्या वाले छः, प्रदेशों – उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान में से किया जाये तो उत्तर प्रदेश में एस. एल.एल. श्रेणी में सर्वाधिक अपराध पंजीकृत हुये और आई.पी.सी. श्रेणी में पूरे भारत में तृतीय स्थान था जैसा कि निम्नलिखित चार्ट में दर्शाया गया है।

चार्ट 11.5: छः सर्वाधिक जनसंख्या वाले प्रदेशों में पंजीकृत कुल अपराध

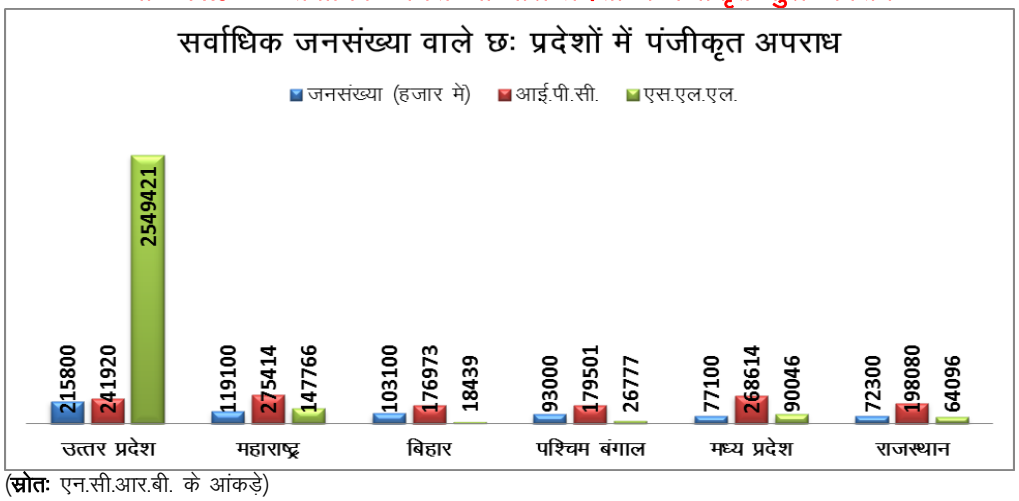

(**स्रोतः** एन.सी.आर.बी. के आंकड़े)

- वर्ष 2015 में उत्तर प्रदेश में एस.एल.एल. अपराधों की संख्या सबसे अधिक थी जो कि पूरे देश में पंजीकृत एस.एल.एल. अपराधों का 58 प्रतिशत था। उत्तर प्रदेश में हिंसक अपराधों के मामले सबसे अधिक (40,613) पंजीकृत हुये थे जो कि पूरे देश में पंजीकृत मामलों का 12 प्रतिशत था। वर्ष 2015 के दौरान बिहार एवं पश्चिम बंगाल में पंजीकृत एस.एल.एल. अपराधों की संख्या क्रमशः 18,439 एवं 26,777 थी।
- वर्ष 2015 की अवधि में उत्तर प्रदेश में हत्या के मामले सबसे अधिक 15 प्रतिशत (32,127 मामलों में से 4,732) थे तथा गैर इरादतन हमला के मामले देश में पंजीकृत मामलों में सर्वाधिक 42 प्रतिशत (3,176 मामलों में से 1,338) था।
- उत्तर प्रदेश में महिलाओं के विरुद्ध पंजीकृत अपराध 11 प्रतिशत (3,27,394 मामलों में से 35,527) तथा अनुसूचित जाति के विरुद्ध दर्ज मामले 19 प्रतिशत (45,003 मामलों में से 8,358) था जो कि देश में सबसे अधिक था।
- उत्तर में शासन द्वारा बताया गया (फरवरी 2017) कि अपराध दर यानि प्रति लाख जनसंख्या पर पंजीकृत अपराध के आलोक में पूरे देश में उत्तर प्रदेश का स्थान वर्ष 2011 में 26वां तथा वर्ष 2015 में 28वां था। इस प्रकार, वर्ष 2011–15 की अवधि में अन्य राज्यों की अपेक्षा अपराधों की स्थिति में सुधार आया है। लेकिन वस्तुस्थिति यह थी कि प्रदेश में वर्ष 2011–15 की अवधि में आई.पी.सी. श्रेणी के अपराधों में 24 प्रतिशत एवं एस.एल.एल. श्रेणी के अपराधों में 35 प्रतिशत की वृद्धि हुइ। यह भी पाया गया कि संदर्भित अवधि के दौरान जनसंख्या में 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि अपराधों के आई.पी.सी. श्रेणी में 24 प्रतिशत एवं एस.एल.एल. श्रेणी में 35 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

11.2 साइबर अपराध

सइबर अपराध को उन अपराधों में परिभाषित किया जाता है जिसमें कम्प्यूटर द्वारा (हैकिंग, फिशिंग, स्पैमिंग) अपराध किया जाता है अथवा इसे अपराध का माध्यम (चाइल्ड पोर्नोग्राफी, घृणित अपराध) बनाया जाता है। साइबर अपराधी कम्प्यूटर तकनीक के उपयोग से व्यक्तिगत व व्यावसायिक जानकारी चुराने अथवा इण्टरनेट का उपयोग शोषण करने या दुर्भावनापूर्ण उद्देश्यों हेतु किया जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अनुसार इस प्रकार के कृत्य दण्डनीय है। इलेक्ट्रानिक अभिलेखों की पहचान करते हुये साइबर क्राइम से संबंधित विविध अपराधों को आई.पी.सी. के सुसंगत अनुच्छेदों में भी पंजीकृत किया जाता है तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के आधार पर आई.पी.सी. के कई अनुच्छेदों में संशोधन किया गया है।

विभाग द्वारा सितम्बर 2011 में आगरा[30] एवं लखनऊ[31] में साइबर अपराधों के अनुसंधान हेतु दो साइबर इकाईयॉ स्थापित किये गये हैं।

- लेखापरीक्षा में पाया गया कि प्रत्येक जनपद में एक साइबर क्राइम थाना की स्थापना के प्रस्ताव (सितम्बर 2012) के सापेक्ष साइबर अपराधों के अनुसंधान हेतु लखनऊ[32] एवं गौतम बुध नगर (नोएडा)[33] में मात्र दो साइबर क्राइम थाना स्थापित (मार्च 2016) किये गये।
- वर्ष 2011–15 की अवधि में साइबर क्राइम (आई.टी. एक्ट एवं आई.पी.सी.) के अंतर्गत पंजीकृत मामले एवं गिरफ्तार व्यक्तियों का विवरण निम्नानुसार थाः

[30] मेरठ, सहारनपुर, बरेली, मुरादाबाद, अलीगढ़ एवं आगरा मण्डल से संबंधित अपराध।
[31] इलाहाबाद, मिर्जापुर, वाराणसी, आजमगढ़, चित्रकूट, देवीपाटन, बस्ती, गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर, फैजाबाद एवं झांसी मण्डल से संबंधित अपराध।
[32] पुलिस जोन लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, कानपुर एवं गोरखपुर से संबंधित अपराध।
[33] पुलिस जोन मेरठ, बरेली एवं आगरा से संबंधित अपराध।

सारणी 11.2: साइबर क्राइम के अंतर्गत दर्ज मामले और गिरफ्तारियां

वर्ष	कुल साइबर अपराधों (आई.टी. ऐक्ट एवं आई.पी.सी.) के अंतर्गत दर्ज मामले	कुल साइबर अपराधों (आई.टी. ऐक्ट एवं आई.पी.सी.) के अंतर्गत गिरफ्तारियां
2011	114	उपलब्ध नहीं
2012	249	185
2013	682	602
2014	1737	1223
2015	2208	1699
योग	**4990**	**3709**

(**स्रोतः** एन.सी.आर.बी. के आंकड़े)

उपरोक्त आंकड़ों से यह पता चलता है कि वर्ष 2011 में 114 मामले के सापेक्ष वर्ष 2015 में 2208 मामले साइबर क्राइम के अंतर्गत पंजीकृत हुये (आई.टी.ऐक्ट, 2000 एवं आई.पी.सी. के विविध अनुच्छेदों के अंतर्गत दर्ज मामले) और इस प्रकार वर्ष 2011 की तुलना में वर्ष 2015 में 1837 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस प्रकार के अपराधों को करने वाले 1699 व्यक्तियों की गिरफ्तारी वर्ष 2015 के दौरान हुई। अग्रेतर यह भी पाया गया कि वर्ष 2011–15 के दौरान साइबर क्राइम के पंजीकृत 4,990 प्रकरणों में 3,709 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई।

अभिलेखों की जांच में पाया गया कि जनवरी 2015 से मार्च 2016 की अवधि में नमूना जांच हेतु चयनित 15 जनपदों में आई.टी. एवं आई.पी.सी. ऐक्ट के अंतर्गत 1990 प्रकरण पंजीकृत हुये। नमूना जॉच जनपदों में से कानपुर में सबसे अधिक प्रकरण (1990 प्रकरणों में से 616 मामले) पंजीकृत हुये एवं इसके बाद लखनऊ में 361 प्रकरण और इलाहाबाद में 343 प्रकरण पंजीकृत हुये।

11.3 पुलिस बल में जनशक्ति प्रबन्धन

पुलिस संगठन के लिये जनशक्ति का कुशल प्रबन्धन महत्वपूर्ण है क्योंकि पर्याप्त जनशक्ति और इनकी उचित तैनाती पुलिस बल के क्रियाकलाप एवं राज्य में कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये आवश्यक है। इसके लिये रिक्तियों को भरने हेतु समय से भर्ती किया जाना और जनशक्ति को विभिन्न भूमिकाओं एवं कार्यों हेतु विवेकपूर्ण तैनाती किया जाना चाहिये जिससे सभी क्षेत्रों/भौगोलिक स्थानों पर पुलिस बल को तैनात किया जा सके और अपराध को नियंत्रित किया जा सके।

पुलिस बल में कमी

सिविल एवं सशस्त्र पुलिस बल के आरक्षी से लेकर निरीक्षक तक का पद कानून व्यवस्था बनाये रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इसलिये इन संवर्गों में कानून व्यवस्था बनाये एवं अपराध की घटनाओं को नियंत्रण में रखने हेतु पर्याप्त संख्या होनी चाहिये। नागरिक एवं सशस्त्र पुलिस बल में स्वीकृत जन शक्ति के सापेक्ष कार्यरत जनशक्ति की स्थिति नीचे सारणी में दी गयी है:

सारणी 11.3: उत्तर प्रदेश पुलिस में उपलब्ध जनशक्ति

वर्ष	निरीक्षक		उपनिरीक्षक		मुख्य आरक्षी		आरक्षी		अन्य		योग	
	स्वीकृत संख्या	कार्यरत	स्वीकृत संख्या	कार्यरत	स्वीकृत संख्या	कार्यरत	स्वीकृत संख्या	कार्यरत	स्वीकृत संख्या	कार्यरत	स्वीकृत संख्या	कार्यरत
2011	1996	668	17914	7657	62156	16487	263161	144243	15036	15267	360263	184322 (51)
2015	3052	2607	22038	10492	66583	31826	270674	121747	15127	13977	377474	180649 (48)

(**स्रोतः** बजट 2015–16, खण्ड 6)

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि 1 अप्रैल 2015 तक राज्य में पुलिस कर्मियों की स्वीकृत संख्या 3,77,474 के सापेक्ष मात्र 1,80,649 (48 प्रतिशत) पुलिसकर्मी ही कार्यरत थे। सिविल एवं सशस्त्र पुलिस कर्मियों की संख्या वर्ष 2011 में 184322 से कम होकर वर्ष 2015 में 1,80,649 हो गई।

नमूना जांच हेतु चयनित 15 जनपदों की लेखापरीखा में पाया गया कि कई जनपदों में निरीक्षक, उपनिरीक्षक, मुख्य आरक्षी एवं आरक्षी के स्वीकृत संख्या का 30 से 40 प्रतिशत पुलिसकर्मी ही तैनात थे जैसा कि अद्योलिखित सारणी से स्पष्ट है।

सारणी 11.4: नमूना जाँच जनपदों में जनशक्ति की कमी

जनपद	स्वीकृत संख्या	कार्यरत	स्वीकृत संख्या के सापेक्ष कमी	कमी (प्रतिशत में)
आगरा	6,865	4,059	2,806	41
इलाहाबाद	9,615	4,082	5,533	58
देवरिया	3,758	1,010	2,748	73
गाजियाबाद	6,214	3,943	2,271	37
झांसी	4,220	1,640	2,580	61
कानपुर	8,964	4,813	4,151	46
कुशीनगर	3,258	983	2,275	70
लखनऊ	8,368	7,110	1,258	15
मथुरा	4,828	2,688	2,140	44
मेरठ	5,052	2,452	2,600	51
मुरादाबाद	8,270	2,792	5,478	66
प्रतापगढ़	3,664	1,476	2,188	60
शाहजहांपुर	3,836	1,726	2,110	55
सीतापुर	5,769	1,580	4,189	73
सोनभद्र	3,452	1,653	1,799	52

(**स्रोतः** पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद)

कुशीनगर, देवरिया एवं सीतापुर की जनशक्ति में 70 से 73 प्रतिशत कमी थी जबकि झांसी, मुरादाबाद एवं प्रतापगढ़ की जनशक्ति में 60 से 66 प्रतिशत कमी थी।

पुलिस बल में 48 प्रतिशत की वृहद कमी के कारण राज्य में कानून व्यवस्था के रख–रखाव पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता था।

11.4 पुलिस विभाग में भर्तियाँ

पुलिस बल में अत्यधिक कमी का मुख्य कारण रिक्त पदों को समय से और नियमित रुप से भर्ती न किया जाना था।

अप्रैल 2009 के शासनादेश के अनुसार पुलिस मुख्यालय को विभिन्न पदों की स्वीकृत संख्या के सापेक्ष रिक्तियों का केन्द्रीकृत आकलन करते हुये विविध पदों की रिक्तियों की संख्या का प्रस्ताव (अधियाचन) पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड (बोर्ड), लखनऊ को भर्ती करने हेतु भेजा जाना था। भर्ती वर्ष में दो बार की जानी थी। अग्रेत्तर, बोर्ड द्वारा रिक्तियों का अधिसूचना जारी करते हुये लिखित एवं शारिरिक परीक्षा हेतु आवेदन मांगे जाने थे। अभ्यर्थियों की शारिरिक एवं लिखित परीक्षा के बाद बोर्ड अभ्यर्थियों का चयन करता है और चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण एवं तैनाती हेतु सूची पुलिस मुख्यालय को भेजा जाता है। पुलिस मुख्यालय द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की सूची प्राप्त हो जाने के बाद इनको प्रशिक्षण हेतु भेजा जाता है। प्रशिक्षण पूर्ण हो जाने के बाद, प्रशिक्षित पुलिसकर्मियों की तैनाती जनपदों/पी.ए.सी. में की जानी थी।

उत्तर में शासन द्वारा बताया गया (फरवरी 2017) कि बोर्ड में संसाधनों की अत्यधिक कमी थी। वर्तमान में बोर्ड नागरिक पुलिस एवं पी.ए.सी. के आरक्षी, उपनिरीक्षक, प्लाटून कमांडर, कम्प्यूटर आपरेटर, अग्निशमन एवं कारागार सेवाओं में भर्ती हेतु उत्तरदायी है।

इसप्रकार शासन द्वारा बोर्ड के संसाधनों एवं जनशक्ति को बढ़ाने की आवश्यकता है जिससे शासन की अधिसूचना के अनुसार पुलिसकर्मियों की भर्ती प्रक्रिया नियमित एवं समय पर वर्ष में दो बार किया जा सके।

11.4.1 भर्तियों में विलम्ब

उपनिरीक्षकों एवं प्लाटून कमाण्डरों की भर्ती

लेखापरीक्षा में पाया गया कि पुलिस मुख्यालय द्वारा भर्ती करने के लिये वर्ष 2009–16 की अवधि में नीचे दिये गये पदों के विवरण के अनुसार अधियाचन भेजा गया:

सारणी 11.5: उपनिरीक्षक एवं प्लाटून कमाण्डर की भर्ती प्रक्रिया

वर्ष	उपनिरीक्षक एवं प्लाटून कमाण्डर के पदों की संख्या जिसके लिये अधियाचन भेजा गया	अधियाचन के सापेक्ष भर्ती हेतु प्रकाशित अधिसूचना	अधिसूचना के सापेक्ष चयनित अभ्यर्थी	पुलिस मुख्यालय को प्रेषित चयनित अभ्यर्थियों की सूची
2009-10	3698+312	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
2010-11	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
2011-12	शून्य	3698+312 (2009 के अधियाचन के सापेक्ष)	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
2012-13	शून्य	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
2013-14	शून्य	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
2014-15	शून्य	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
2015-16	3000	प्रक्रिया अन्तर्गत	3493+291=3784 (2009 के अधियाचन के सापेक्ष)	जून 2015 में 3784

(**स्रोत:** पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद एवं भर्ती बोर्ड, लखनऊ)

पुलिस मुख्यालय तथा पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि:

- पुलिस मुख्यालय द्वारा बड़ी संख्या में रिक्तियां होने के बाद भी उपनिरीक्षक/प्लाटून कमाण्डर के पदों पर भर्ती हेतु वर्ष 2011–12 से 2014–15 की अवधि में कोई अधियाचन (प्रस्ताव) नहीं भेजा गया। केवल वर्ष 2015–16 में उपनिरीक्षक/प्लाटून कमाण्डर के 3000 पदों की भर्ती हेतु अधियाचन पुलिस मुख्यालय द्वारा भेजा गया।
- नागरिक पुलिस में 3698 निरीक्षकों एवं पी.ए.सी. में 312 प्लाटून कमाण्डरों की भर्ती हेतु वर्ष 2009 में पुलिस मुख्यालय से प्राप्त अधियाचन के सापेक्ष बोर्ड द्वारा उक्त पदों हेतु आवेदन पत्र मांगे जाने (मई 2011) में दो वर्ष का समय लिया गया। अर्ह अभ्यर्थियों के पांच चरणों के परीक्षा में चार वर्ष का समय लगा और परीक्षाफल की घोषणा जून 2015 में की गयी जैसा कि नीचें सारणी में दिया गया है:

सारणी 11.6: उपनिरीक्षक के पदों के लिए परीक्षा का कार्यक्रम

परीक्षा का नाम	परीक्षा की तिथि	परिणाम की तिथि
शारिरिक दक्षता जांच	05.09.2011 से 01.11.2011	
लिखित परीक्षा (प्रारम्भिक)	11.12.2011	01.01.2013
शारिरिक दक्षता परीक्षा	05.02.2013 से 01.09.2014	
लिखित परीक्षा (मुख्य)	14.09.2014	18.11.2014
समूह चर्चा	11.12.2014 से 10.01.2015	
अंतिम परिणाम		16.03.2015
माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार घोषित परीक्षाफल		25.06.2015

(**स्रोत:** पुलिस भर्ती एवं पदोन्नती बोर्ड, लखनऊ)

पुलिस मुख्यालय से वर्ष 2015–16 में प्राप्त अधियाचन के सापेक्ष उपनिरीक्षक के पदों पर भर्ती हेतु बोर्ड द्वारा अभी तक आवेदन पत्र नहीं मंगाये गये थे।

इस प्रकार, जनशक्ति में भारी कमी होने एवं बढ़ते अपराध एवं बिगड़ती कानून व्यवस्था के बाद भी नागरिक पुलिस एवं पी.ए.सी. में उपनिरीक्षकों की समय से भर्ती सुनिश्चित करने हेतु न तो विभाग और न ही बोर्ड द्वारा तत्परता दिखाई गयी।

लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि वर्ष 2009 के अधियाचन के सापेक्ष 3,784 चयनित अभ्यर्थियों में पुलिस मुख्यालय द्वारा मात्र 3,153 अभ्यर्थियों को वर्ष 2016–17 में प्रशिक्षण हेतु भेजा गया और 631 अभ्यर्थी अपने प्रशिक्षण का अभी भी प्रतीक्षा कर रहे हैं।

आरक्षियों की भर्ती

सारणी 11.7: आरक्षी की भर्ती प्रक्रिया

वर्ष	आरक्षी के पद हेतु बोर्ड को प्रेषित अधियाचन	अधियाचन के सापेक्ष भर्ती हेतु प्रकाशित अधिसूचना	अधिसूचना के सापेक्ष चयनित अभ्यर्थी	पुलिस मुख्यालय को प्रेषित चयनित अभ्यर्थियों की सूची
2011-12	शून्य	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
2012-13	शून्य	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
2013-14	41,610	41,610 (जून 2013)	प्रक्रिया में	उपलब्ध नहीं
2014-15	शून्य	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
2015-16	34,716	दिसंबर 2015 (प्रक्रिया अन्तर्गत)	38,315+4,438 (2013 के अधियाचन के सापेक्ष)	42,753 (जनवरी 2016) 2013 के अधियाचन के सापेक्ष

(**स्रोतः** पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद एवं भर्ती बोर्ड, लखनऊ)

- आरक्षी के 41,610 पदों के लिये वर्ष 2013–14 में एवं 34,716 पदों के लिये वर्ष 2015–16 में पुलिस मुख्यालय द्वारा बोर्ड को अधियाचन (प्रस्ताव) प्रेषित किया गया। पुलिस मुख्यालय द्वारा वर्ष 2011–12, 2012–13 एवं 2014–15 में आरक्षी के पदों का कोई अधियाचन नहीं भेजा गया जबकि इस संवर्ग में 45 से 55 प्रतिशत तक की अत्यधिक रिक्तियां थी।
- वर्ष 2013–14 के अधियाचन के सापेक्ष आरक्षी के 41,610 पदों हेतु बोर्ड द्वारा माह मई/जून 2013 में आवेदन माँगें गये थे। चार चरणों की परीक्षा आयोजित करने के बाद अंतिम परिणाम की घोषणा जुलाई 2015 में की गई जिसे निम्न सारणी में दर्शाया गया है:

सारणी 11.8: आरक्षी के पदों हेतु परीक्षा का कार्यक्रम

परीक्षा का नाम	परीक्षा की तिथि	परिणाम घोषणा की तिथि
लिखित परीक्षा (प्रारम्भिक)	15.12.2013	28.07.2014
शारिरिक दक्षता परीक्षा	07.10.2014 से 19.11.2014	
लिखित परीक्षा (मुख्य)	14.12.2014	22.03.2015
चिकित्सीय जांच परीक्षा	27.03.2015 से 06.2015	
अंतिम परिणाम		16-07-2015

(**स्रोतः** पुलिस भर्ती एवं पदोन्नती बोर्ड, लखनऊ)

इस प्रकार, अभ्यर्थियों के चयन की प्रक्रिया को पूर्ण करने में बोर्ड द्वारा दो वर्ष और आठ माह का समय लिया गया।

लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि 42,753 चयनित अभ्यर्थियों में से मात्र 16,075 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण पर भेजा गया और बचे हुये 17,425 अभ्यर्थी अभी भी प्रशिक्षण हेतु प्रतीक्षा कर रहे थे। सभी चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण पर इसलिये नहीं भेजा जा सका क्योंकि प्रशिक्षण संस्थान/विद्यालय/केन्द्र की क्षमता सीमित थी जैसा कि ***प्रस्तर 7.3*** में उल्लेख किया गया है। 3,966 अभ्यर्थियों का चरित्र सत्यापन का कार्य

प्रक्रिया में था तथा अवशेष 5,287 अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में कोई भी सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी थी। वर्ष 2015–16 में अधिसूचित रिक्तियों की भर्ती अभी भी प्रक्रिया में हैं।

उत्तर में शासन द्वारा बताया गया (फरवरी 2017) कि भर्ती प्रक्रिया में विलम्ब का मुख्य कारण विविध पदों पर भर्ती हेतु अत्यधिक संख्या में अभ्यर्थियों के होने के साथ साथ इलाहाबाद एवं लखनऊ स्थित माननीय उच्च न्यायालय में कानूनी मामले लम्बित होना था।

शासन का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि उपनिरीक्षक (52 प्रतिशत) एवं आरक्षी (55 प्रतिशत) पदों पर भारी संख्या में रिक्तियां होने के बाद भी पुलिस मुख्यालय द्वारा वर्ष में दो बार अधियाचन नहीं भेजा गया जो कि राज्य पुलिस बल में लगातार रिक्तियों के बने रहने का एक महत्वपूर्ण कारण था। पुनः पुलिस मुख्यालय से अधियाचन प्राप्त करने के बाद बोर्ड द्वारा तत्कालिक कार्यवाही नहीं की गई और भर्ती प्रक्रिया में असामान्य रुप से अधिक समय लगभग तीन से चार वर्ष तक लगाया। इन सबके परिणामस्वरुप राज्य पुलिस की जनशक्ति में कमी हुई तथा उपनिरीक्षक/प्लाटून कमाण्डर संवर्गों में 52 प्रतिशत और आरक्षी संवर्ग में 55 प्रतिशत पद रिक्त पड़े रहे जिससे राज्य में कानून व्यवस्था पर असर पड़ा।

अनुशंसाः

विभाग के साथ–साथ पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड को अपनी चयन प्रक्रिया को सुचारु बनाया जाना चाहिये और पुलिस कर्मियों की भर्ती निर्धारित अवधि में समय से और नियमित रुप से किये जाने हेतु उचित अनुश्रवण प्रणाली बनायी जानी चाहिये।

(पी0 के0 कटारिया)
प्रधान महालेखाकार (जी0 एण्ड एस0एस0ए0)
उत्तर प्रदेश

इलाहाबाद
दिनांक 19 जून 2017

प्रतिहस्ताक्षरित

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक 20 जून 2017